

म. नं. 127/21

8-10-21

Gaming  
2021/2021

पिता

127

अधिकारी

सामित्री

अके वरतों

अके वरतों

सामित्री

नाम सामित्री

पिता का नाम सुधा

जाति राजपूत

सुधा

निवासी

अके वरतों

रिपोर्ट

दिनांक

आरती सामित्री पुत्र सुधा के प्रार्थना पत्र पर मजबूत प्रमाणों के अभाव में जानकारी दी गई है इस बाबत प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र व पहचान हेतु दस्तावेज पेश किये हैं। जिसके अनुरोध पर नाम/जाति से पुकारा जाता है। प्रार्थी का नाम/जाति के स्थान पर राजपूत करने में किसी ने भी आपत्ति नहीं जतायी है। अतः प्रार्थी का नाम/जाति के स्थान पर उसका नाम/जाति राजपूत करना उचित होगा।

न. अभिलेख निरीक्षक वृत्त

ए.के.सी. हल्का

कार्यालय तहसीलदार (भू अभिलेख) गंगापूर सिटी

क्रमांक - भूअ / रा लो अ / 2016 /

दिनांक 08/10/21

रिपोर्ट प्रचारा एव जाय नू अभिलेख निरीक्षक अनुसार प्रार्थी सामित्री आत्मज्ञ सुधा पुत्र सुधा निवासी अके वरतों खाले 127 ग्राम अके वरतों के नाम दर्ज नाम/जाति राजपूत के स्थान पर राजपूत शुद्ध करने की अनुमति की जाती है।

तहसीलदार (भूअभि०)  
तहसीलदार (भूअभि०)  
गंगापूर सिटी (स०मा०)  
कैम्य अके वरतों

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर सिटी

क्रमांक - राजस्व / रा लो अ / 2016 / 146

दिनांक - 08/10/2021

स्वीकृति आदेश

तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुमति पर प्रार्थी श्री सामित्री पुत्र श्री सुधा जाति राजपूत निवासी अके वरतों का नाम/जाति राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत सुधीया के स्थान पर राजपूत शुद्ध करने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी  
गंगापूर सिटी  
कैम्य



उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी (स०मा०)